न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : **स्वदीप सिंह**

अध्यक्ष

प्रकरण कमांक निगरानी 377–दो / 13 विरूद्ध आदेश दिनांक 21–9–2012 पारित द्वारा अपर आयुक्त, भोपाल संभाग, भोपाल प्रकरण कमांक 396 / अपील / 2006–07.

1– मिश्री लाल आत्मज भंवर सिंह
2– गजराज सिंह आत्मज भंवर सिंह
निवासीगण ग्राम सगोनिया
तहसील व जिला रायसेन .....आवेदकगण

विरूद्ध

1– मलखान सिंह आत्मज गोवर्धन
2– रामकली बाई विधवा परसराम पुत्र गोवर्धन
3– सीमा अव्यस्क पुत्री परसराम
द्वारा संरक्षिका रामकली बाई
4– हेमलता बाई अव्यस्क पुत्री परसराम
द्वारा संरक्षिका रामकली बाई
5– सुमन अव्यस्क पुत्री परसराम
द्वारा संरक्षिका रामकली बाई
6– जितेन्द्र अव्यस्क आत्मज परसराम
द्वारा संरक्षिका रामकली बाई
7– किरन अव्यस्क पुत्री परसराम
द्वारा संरक्षिका रामकली बाई
8– प्रेमबाई व्यस्क पुत्री गोवर्धन
9– धनकुंवर बाई व्यस्क पुत्री गोवर्धन
10– दौलत पुत्र इमरत व्यस्क आत्मज गोवर्धन
11– भंवरी बाई विधवा इमरत सिंह
12– कोमलबाई व्यस्क पुत्री इमरत सिंह
13– दया बाई व्यस्क पुत्री इमरत सिंह
14– हीराबाई व्यस्क पुत्री इमरत सिंह
समस्त निवासीगण ग्राम सगोनिया
तहसील व जिला रायसेन .....अनावेदकगण

श्री संजीव शर्मा, अभिभाषक, आवेदकगण
श्री आर.एन. मालवीय, अभिभाषक, अनावेदकगण

:: आ दे श ::

(पारित दिनांक 10, सितम्बर, 2014)

आवेदकगण द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अपर आयुक्त, भोपाल संभाग, भोपाल द्वारा पारित आदेश 21–9–2012 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि आवेदक कमांक 2 द्वारा नायब तहसीलदार, रायसेन के समक्ष संहिता की धारा 178 के अंतर्गत इस आशय का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया कि ग्राम सगोनिया प.ह.नं. 28 तहसील रायसेन जिला रायसेन स्थित भूमि सर्वे कमांक 11, 56, 61, 64, 65, 66, 67, 77, 78, 97, 98 एवं 104 कुल किता 12 कुल रकबा 95.50 एकड़ का वह एवं सहखातेदार हैं । तहसीलदार द्वारा राजस्व प्रकरण कमांक 24/अ–27/99–2000 में दिनांक 22–11–2000 को बटवारा आदेश पारित किया गया था । उक्त आदेश को अनुविभागीय अधिकारी, रायसेन द्वारा अपील प्रकरण कमांक 6/अपील/2000–01 में पारित आदेश दिनांक 16–9–2002 से यथावत रखा गया । अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरूद्ध अपर आयुक्त, भोपाल संभाग, भोपाल के समक्ष द्वितीय अपील प्रस्तुत किए जाने पर अपर आयुक्त द्वारा दिनांक 18–8–2003 को आदेश पारित कर तहसीलदार एवं अनुविभागीय अधिकारी के आदेश निरस्त किए गए । अपर आयुक्त के आदेश के विरूद्ध निगरानी राजस्व मण्डल में प्रस्तुत किए जाने पर मंडल द्वारा दिनांक 15–9–2004 को आदेश पारित कर निगरानी निरस्त की गई एवं तहसीलदार को निर्देशित किया गया कि यदि बटवारा आदेश के अनुसार राजस्व अभिलेख संशोधन कर दिये गये हों तो उन्हैं बटवारा आदेश के पूर्व की स्थिति के अनुसार संशोधित किया जाये । चूंकि तहसीलदार द्वारा संशोधन कर दिया गया है, अतः राजस्व मण्डल के आदेश के

अनुसार अभिलेख संशोधित किया जाये । तहसीलदार द्वारा प्रकरण कमांक 1/अ–6–अ/2004–05 दर्ज किया जाकर दिनांक 1–11–2004 को राजस्व मण्डल के आदेश के पालन में आदेश पारित किया गया । तहसीलदार के आदेश के विरूद्ध अनावेदकगण द्वारा प्रथम अपील अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत की गई । अनुविभागीय अधिकारी द्वारा दिनांक 13–7–2005 को आदेश पारित कर तहसीलदार का आदेश दिनांक 1–11–2004 निरस्त किया गया एवं प्रकरण इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित किया गया कि राजस्व मण्डल के आदेश दिनांक 15–9–2004 के अनुसार तहसीलदार के आदेश दिनांक 22–11–2000 के पूर्व की स्थिति रिकार्ड में बहाल करते हुए संशोधन किया जाये तथा अपर आयुक्त के उक्त आदेश अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जाकर प्रकरण का गुण–दोष पर निराकरण किया जाये । जब तक रिकार्ड की स्थिति तहसीलदार के आदेश दिनांक 22–11–2000 के पूर्व की स्थिति के अनुसार रहेगी । प्रकरण तहसीलदार को वापिस प्राप्त होने पर तहसीलदार द्वारा प्रकरण कमांक 18/अ–27/2004–05 दर्ज किया जाकर दिनांक 8–8–2006 को बटवारा आदेश पारित किया गया । तहसीलदार के आदेश दिनांक 8–8–2006 के विरूद्ध अनावेदकगण द्वारा प्रथम अपील अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत की गई । अनुविभागीय अधिकारी द्वारा दिनांक 19–2–2007 को आदेश पारित कर तहसीलदार का आदेश यथावत रखते हुए अपील निरस्त की गई । अनुविभागीय अधिकारी के आदेश दिनांक 19–2–2007 के विरूद्ध द्वितीय अपील अपर आयुक्त के समक्ष प्रस्तुत किए जाने पर अपर आयुक्त द्वारा दिनांक 21–9–2012 को आदेश पारित कर तहसीलदार एवं अनुविभागीय अधिकारी के आदेश यथावत रखे जाकर अपील निरस्त की गई । अपर आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा लिखित तर्क में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाए गए :–

(1) अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इस वैधानिक बिन्दु की ओर कोई ध्यान नहीं दिया कि आवेदकगण उपरोक्त भूमि में से 1/2 हिस्से पर काबिज होकर खेती कर रहे हैं, उक्त

हिस्सा उन्हें आवेदकगण को कब और कैसे प्राप्त हुआ । इसलिए अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा पारित किया गया आदेश निरस्त किए जाने योग्य है ।

(2) अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य को ओर ध्यान नहीं दिया कि अनावेदकगण के द्वारा तहसील न्यायालय में यह आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया था कि आवेदकगण की माता अलग है तथा (गोवर्धन एवं इमरत सिंह) अनावेदकगण की माता अलग है, परन्तु तहसीलदार द्वारा इस संबंध में गंभीरता से जांच नहीं की गयी एवं न ही इस संबंध में प्रतिवेदन, पंचनामा लिया गया । इस कारण अधीनस्थ न्यायालय का आदेश निरस्त किये जाने योग्य है ।

(3) आवेदकगण के पिता भंवर सिंह है, भंवर सिंह के सगे भाई अमीरचंद थे, जिनकी मृत्यु हो जाने के बाद इनके हिस्से की भूमि भंवर सिंह को प्राप्त हुई, भंवर सिंह की मृत्यु के बाद भंवर सिंह के उत्तराधिकारी आवेदकगण हैं । भंवर सिंह के हिस्से की भूमि आवेदकगण को प्राप्त हुई है, इन तथ्यों को अधीनस्थ न्यायालय ने अनदेखा किया है ।

(4) गोवर्धन एवं इमरत सिंह की मृत्यु के बाद अनावेदकगण को उपरोक्त भूमि प्राप्त हुई है, जिस पर अनावेदकगण काबिज होकर खेती कर रहे हैं, इन तथ्यों पर भी तहसील न्यायालय द्वारा कोई भी जांच प्रतिवेदन एवं मौके का पंचनामा नहीं मंगवाया गया कि मौके पर कितनी–कितनी भूमि पर कौन–कौन काबिज होकर खेती कर रहे हैं, जिसे अधीनस्थ अपीलीय न्यायालयों ने भी अनदेखा करते हुए आदेश पारित किया है ।

(5) स्वर्गीय आशाराम जी ने अपनी दोनों पत्नियों को उपरोक्त वर्णित कुल भूमि रकबा 95.50 एकड़ में से आधा–आधा हिस्सा दे दिया था, और उसी के अनुसार दोनों पत्नियों के पुत्रों को मौके पर कब्जा दे दिया गया था एवं मौके पर काबिज होकर खेती करते चले आ रहे हैं, जिसके अनुसार राजस्व अधिकार अभिलेख वर्ष 1974–75 में भूमिस्वामी कॉलम में आवेदकगण मिश्रीलाल, गजराज सिंह पुत्रगण भंवर सिंह एवं गोवर्धन सिंह, इमरत सिंह आत्मज आशाराम का नाम दर्ज है, जिससे राजस्व अभिलेख देखने से ही स्पष्ट हो जाता है कि मिश्रीलाल, गजराज सिंह को 1/2 हिस्सा है तथा गोवर्धन सिंह, इमरत सिंह का 1/2 हिस्सा है । अधीनस्थ न्यायालयों ने राजस्व अभिलेखों में दर्ज 1/2 हिस्से को अनदेखा

करते हुए 1/3 के हिस्से के अनुसार बटवारा स्वीकृत किया गया है, जो विधि के विपरीत एवं राजस्व अभिलेख में दर्ज बटवारा के विपरीत आदेश पारित किया गया है ।

(6) अधीनस्थ न्यायालयों के द्वारा उत्तराधिकार अधिनियम के विपरीत बटवारा स्वीकृत किया गया है, जो निरस्त किये जाने योग्य है ।

(7) उत्तराधिकार अधिनियम के अनुसार अनावेदकगण एवं गोवर्धन एवं इमरत सिंह (अनावेदकगण के पिता एवं पति) आवेदकगण के सौतेले चाचा हैं । सौतेले चाचा को आवेदकगण की भूमि पर कोई अधिकार प्राप्त नहीं होते हैं । इन तथ्यों के विपरीत अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय ने अनदेखा करते हुए आदेश पारित किया है ।

(8) स्वर्गीय श्री आशाराम की निर्वसीयत मृत्यु होती, तब बटवारा 1/3 के अनुसार अर्थात सभी वारिसानों के मध्य बराबर–बराबर बटवारा होता, लेकिन उपरोक्त भूमि का बटवारा 50–55 वर्ष पूर्व में ही हो चुका था तथा राजस्व अभिलेख में बटवारे के अनुसार आवेदकगण एवं अनावेदकगण के नाम दर्ज थे, पूर्व बटवारा के अनुसार ही राजस्व अभिलेख में बटवारा 1/2 के अनुसार किया जाना था । इन तथ्यों को अनदेखा करते हुए आदेश पारित किया गया है ।

(9) राजस्व मण्डल के द्वारा भी इसी आधार पर अनावेदकगण की निगरानी निरस्त करते हुए राजस्व अभिलेख के अनुसार बटवारा किए जाने के निर्देश दिये गये थे । इन तथ्यों को अनदेखा करते हुए अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा बटवारा स्वीकृत किया गया है, जो त्रुटिपूर्ण होने से निरस्त किये जाने योग्य है ।

4/ अनावेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि अपर आयुक्त द्वारा व्यवहार वाद प्रस्तुत करने हेतु 3 माह के लिये बटवारा कार्यवाही स्थिगित करने के निर्देश दिये गये थे । उक्त आदेश को इस न्यायालय द्वारा स्थिर रखा गया है । अपर आयुक्त के आदेश के पालन में तहसीलदार द्वारा व्यवहार न्यायालय में वाद प्रस्तुत करने के निर्देश के साथ 3 माह के लिए कार्यवाही स्थगित की गई, और आवेदकगण द्वारा व्यवहार वाद भी प्रस्तुत किया गया था, परन्तु बाद में व्यवहार वाद वापिस ले लिया गया । अतः तहसीलदार द्वारा बटवारा आदेश पारित करने में किसी प्रकार की कोई अवैधानिकता अथवा अनियमितता नहीं की गई है । यह भी कहा गया कि तहसीलदार द्वारा

विधिवत वाद बिन्दु निर्धारित कर विधि के प्रावधानों की विवेचना करते हुए विस्तृत आदेश पारित किया गया है, जिसे दोनों अपीलीय न्यायालयों द्वारा कायम रखने में किसी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं की गई है । यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया कि स्वर्गीय भूमिस्वामी आशाराम के 4 पुत्र थे, इनमें से 1 पुत्र अमीरचंद की मृत्यु निःसंतान हुई है, अतः शेष 3 भाईयों के मध्य प्रश्नाधीन भूमि में 1/3 – 1/3 हिस्से का बटवारा करने में तहसील न्यायालय द्वारा पूर्णतः वैधानिक एवं न्यायिक कार्यवाही की गई है । यह भी कहा गया कि आवेदकगण द्वारा व्यवहार न्यायालय में आशाराम व भंवर सिंह को भाई–भाई दर्शाया गया था, जबकि उनका पिता–पुत्र के संबंध था, इसी कारण आवेदकगण द्वारा व्यवहार वाद का निराकरण नहीं कराया जाकर वापिस ले लिया गया है, अतः आवेदकगण अब व्यवहार न्यायालय से किसी प्रकार की कोई राहत पाने के अधिकारी नहीं है, इस कारण तहसील न्यायालय द्वारा पारित बटवारा आदेश हस्तक्षेप योग्य नहीं रह जाता है । अंत में तर्क प्रस्तुत किया गया कि तीनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा समवर्ती निष्कर्ष निकाले गए हैं, जिनमें हस्तक्षेप का कोई आधार इस निगरानी में नहीं है ।

5/ उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । अभिलेख से स्पष्ट है कि पूर्व में तहसील न्यायालय द्वारा दिनांक 22–11–2000 को उभय पक्ष को सुनकर बटवारा आदेश पारित किया गया था । उक्त बटवारा आदेश को अनुविभागीय अधिकारी द्वारा दिनांक 16–9–2002 को आदेश पारित कर स्थिर रखा गया । अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरूद्ध द्वितीय अपील अपर आयुक्त के समक्ष प्रस्तुत किए जाने पर अपर आयुक्त द्वारा दिनांक 18–8–2003 को आदेश पारित कर तहसील न्यायालय एवं अनुविभागीय अधिकारी के आदेश निरस्त करते हुए प्रकरण इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित किया गया कि संहिता की धारा 178 के तहत प्रकरण 3 माह तक के लिए स्थगित करें, और यदि इस अवधि में कोई सिविल वाद संस्थित नहीं होता है तो फर्द बटवारे पर उभय पक्ष की आपत्ति पर विचार करते हुए विधि अनुसार पुनः बटवारा किया जाये । अपर आयुक्त के आदेश के विरूद्ध इस न्यायालय में निगरानी प्रस्तुत की गई, और इस न्यायालय द्वारा दिनांक 15–9–2004 को आदेश पारित कर अपर आयुक्त का आदेश स्थिर रखते हुए निगरानी निरस्त की गई । प्रकरण तहसील न्यायालय में प्राप्त होने

पर तहसीलदार द्वारा व्यवहार वाद प्रस्तुत करने हेतु 3 माह के लिए बटवारा कार्यवाही स्थगित की गई । इस दौरान आवेदकगण द्वारा व्यवहार न्यायालय में स्वत्व निर्धारण हेतु व्यवहार वाद भी प्रस्तुत किया गया, परन्तु बाद में दिनांक 22–2–2005 को आवेदकगण द्वारा व्यवहार वाद नहीं चलाने के कारण एवं वापिस लिये जाने के कारण निरस्त किया गया है । ऐसी स्थिति में तहसीलदार द्वारा उभय पक्ष को सुनवाई का पर्याप्त अवसर देते हुए दिनांक 8–8–2002 को वाद बिन्दु निर्धारित किए जाकर विधि के प्रावधानों की विस्तार से विवेचना करते हुए जो बटवारा आदेश पारित किया गया, उसमें किसी प्रकार की कोई अवैधानिकता अथवा अनियमितता परिलक्षित नहीं होती है । जहां तक अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश दिनांक 12–9–2007 का प्रश्न है, उनके द्वारा तहसील न्यायालय के विधिसंगत आदेश की पुष्टि की गई, इसलिए उनके आदेश में कोई त्रुटि परिलक्षित नहीं होती है, और चूंकि अपर आयुक्त द्वारा अनुविभागीय अधिकारी के विधिसंगत आदेश को स्थिर रखा जाकर द्वितीय अपील निरस्त की गई, इसलिए उनका आदेश भी स्थिर रखे जाने योग्य है । इस प्रकार तीनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा निकाले गये समवर्ती निष्कर्ष विधिसंगत हैं, जिनमें हस्तक्षेप का कोई आधार इस निगरानी में नहीं है । आवेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा लिखित तर्क में उठाया गया यह आधार मान्य किए जाने योग्य नहीं है कि आवेदकगण प्रश्नाधीन भूमि में से 1/2 हिस्से पर काबिज होकर कृषि कर रहे हैं, परन्तु इस ओर तहसील न्यायालय द्वारा ध्यान नहीं देकर आदेश पारित करने में त्रुटि की गई है, कारण कब्जे के आधार पर आवेदकगण को कोई स्वत्व प्राप्त नहीं होते हैं, और संहिता की धारा 178 के अंतर्गत बटवारा भी कब्जे के आधार पर नहीं किया जा सकता है । तहसील न्यायालय के प्रकरण के अवलोकन से यह निर्विवादित तथ्य है कि भूमिस्वामी स्वर्गीय आशाराम के 4 पुत्र थे भंवर सिंह, अमीरचंद, गोवर्धन एवं इमरत सिंह, इनमें से अमीरचंद की मृत्यु निःसंतान हुई है, अतः तहसील न्यायालय द्वारा 3 भाईयों के वारिसानों को 1/3 – 1/3 हिस्सा देने में पूर्णतः वैधानिक एवं न्यायिक कार्यवाही की गई है । इस संबंध में आवेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा उठाया गया यह आधार अमान्य किए जाने योग्य है कि स्वर्गीय आशाराम की 2 पत्नियां थीं, और आवेदकगण के पिता भंवरसिंह के गोवर्धन एवं इमरत सिंह सौतेले भाई थे, और अमीरचंद भंवर सिंह का सगा

भाई था, इसलिए उसके हिस्से की भूमि आवेदकगण को प्राप्त होगी, क्योंकि हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम के अंतर्गत मृतक भूमिस्वामी के सभी वारिसान को समान हक प्राप्त होगा । इसके अतिरिक्त इस प्रकरण में महत्वपूर्ण विचारणीय बिन्दु यह है कि प्रकरण में स्वत्व का गंभीर प्रश्न निहित है, और इसका निराकरण व्यवहार न्यायालय से ही किया जा सकता है । आवेदकगण द्वारा व्यवहार न्यायालय में व्यवहार वाद प्रस्तुत कर वापिस लेना स्पष्ट करता है कि आवेदकगण का प्रश्नाधीन भूमि में 1/2 हिस्से पर स्वत्व नहीं है । दर्शित परिस्थितियों में अपर आयुक्त द्वारा पारित आदेश विधिसंगत होने से स्थिर रखे जाने योग्य है ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर आयुक्त, भोपाल संभाग, भोपाल द्वारा पारित आदेश दिनांक 21–9–2012 स्थिर रखा जाता है । निगरानी निरस्त की जाती है ।

(स्वदीप सिंह)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश,
ग्वालियर